



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 181 राँची, शुक्रवार, 4 वैशाख, 1948 (श०)
24 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 अप्रैल, 2026

संख्या:-5/आरोप-1-63/2017 का०- 1947--श्री महावीर सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-549/03) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा, प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनिया एवं भण्डरिया के पद पर कार्यावधि में प्रतिवेदित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4884, दिनांक 07.06.2013 द्वारा तथा इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि में प्रतिवेदित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-7963, दिनांक 02.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-168, दिनांक 28.03.2014 एवं पत्रांक-189, दिनांक 11.04.2014 द्वारा जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिनमें विषयगत दोनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

3. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, श्री सिंह के उभय स्थानों (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा, प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनियाँ एवं भण्डरिया तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह) के पदस्थापन काल के प्रमाणित आरोपों हेतु काल-वेतन मान में निम्नतर स्तर पर अवनति का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

4. उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8026, दिनांक 08.08.2014 एवं स्मार पत्रांक-9334, दिनांक 15.09.2014 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

5. श्री सिंह के पत्रांक-1445, दिनांक 26.09.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-3977, दिनांक 29.04.2015 द्वारा श्री सिंह पर काल-वेतन मान में निम्नतर स्तर पर अवनति का दण्ड अधिरोपित किया गया।

7. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 2129 of 2017 महावीर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2022 द्वारा पारित आदेश में वाद को खारिज कर दिया गया। मा० न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"I find no merit in this writ petition. This writ petition is, accordingly, dismissed."

8. मा० न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में L.P.A. No. 602 of 2022 महावीर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 2 दायर किया गया। उक्त वाद में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2023 द्वारा पारित आदेश में L.P.A को खारिज कर दिया गया। मा० न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"14. Having regard to the aforesaid circumstances in the case, the writ Court rightly refused to interfere with the punishment order because interference with the said order would have perpetuated illegality.

15. For the aforesaid reasons, finding not merit in this Letters Patent Appeal, L.P.A. No. 602 of 2022 is dismissed."

9. उक्त पारित आदेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में S.L.P.(C) No. 17428 of 2024 दायर किया गया। उक्त वाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"2. The short issue in this appeal is with respect to the non-specification of a time period in the order of punishment, wherein the appellant's pay-scale has been reduced to a lower level. Admittedly, no period has been specified in the order of punishment. Limited notice was issued by us only with respect to the unspecified period of reduction in the pay-scale.

3. In our considered view, even assuming the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930, do not make it mandatory to specify a time period, the same cannot be a ground to justify the unlimited period. In other words, the existence of power is one thing and its exercise is another. A perusal of the decision made by the respondent(s) would show that such an exercise was not undertaken.

4. In such view of the matter, by taking note of the facts and circumstances of the case, we hold that the order of reduction in the pay-scale shall be in application till the end of December, 2025.

5. Further, the appellant has attained the age of superannuation in the year 2018 itself. Therefore, from the month of January, 2026 onwards, his pensionary benefits will have to be calculated on the basis of the pay-scale which was applicable to him prior to the order of reduction. We make it clear that the appellant is not entitled for any arrears.

6. The appeal is allowed in part, accordingly.

7. Pending application(s), if any, shall stand disposed of"

10. अतः S.L.P. (C) No. 17428 of 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2025 को पारित न्यायादेश की कंडिका-4 के आलोक में श्री महावीर सिंह पर काल-वेतन मान में निम्नतर स्तर पर अवनति का दण्ड दिनांक 31.12.2025 तक प्रभावी रहेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री महावीर सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव ।
